न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरणसर

बअदालत – श्री भागीरथ शाख, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 07/2020

1. रविन्द्र कुमार पुत्र मोहनराम जाति बिश्नोई निवासी देसलसर तहसील नोखा हाल पटेल नगर बीकानेर।

– प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूनकरणसर

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए एवं आवंटन नियम 1975 के नियम 17(4)

–:निर्णय:–

दिनांकः– 30.01.2020

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके नाम से चक 275–500 आरडी के मु.नं. 30/5 में 20.05 बीघा भूमि रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि अनकमाण्ड से कमाण्ड घोषित की गई है। जिसकी अन्तरराशि जमा करवाई जाकर रिकार्ड में अनकमाण्ड के स्थान पर कमाण्ड दर्ज करने के आदेश फरमावें। प्रार्थना पत्र पत्र तहसीलदार लूनकरनसर से उनके पत्रांक टीआरए/2020/29 दिनांक 29.01.2020 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्राथी के नाम चक 275–500 आरडी के मु.नं. 30/5 कि.नं. 1 में 13 बिस्वा, 2 ता 5, 7 ता 9 में 7 बीघा, 10 में 13 बिस्वा, 11 में 13 बिस्वा, 12 ता 14, 17 ता 18, 23 ता 25 में 8 बीघा अनकमाण्ड कि.नं. 19 में 1 बीघा, 20 में 13 बिस्वा, 21 में 13 बिस्वा, 22 में 1 बीघा कमाण्ड कुल 20.05 बीघा प्रार्थी के नाम रिकार्ड दर्ज है। सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र 128 दिनांक 13.04.2018 व अधीक्षण अभियंता अन्वेषण आईजीएनपी बीकानेर के आदेश कमांक टी– 70/1035 दिनांक 05.08.1992 द्वारा मु.नं. 30/5 के कि.नं. 1 में 10 बिस्वा, 2 में 10 बिस्वा, 3 में 10 बिस्वा, 4 में 10 बिस्वा, 6 में 10 बिस्वा, 7 में 10 बिस्वा, 8 ता 14 में 7 बीघा, कि.नं. 17, 18 में 2 बीघा, 23 ता 25 में 3 बीघा कुल 15 बीघा भूमि को अनकमांण्ड से कमाण्ड घोषित किया गया है। सेल रजिस्टर के खाता संख्या 71/56 में सुगनी पुत्री फुसाराम के नाम से मु.नं. 30/5 कि.नं. 11 व 20 में 2 बीघा अनकमाण्ड, कि.नं. 22 में 1 बीघा कमाण्ड आरक्षित मूल्य की दुगुनी कीमत कमशः

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

560 व 2000 प्रतिबीघा से आवंटन दर्ज है एवं सम्पूर्ण किश्त जमा है। उक्त भूमि में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एमएफएफआर आवंटन आदेश की प्रतिलिपि अनुसार मु.नं. 30/5 में कि.नं. 1 में 8, 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14, 17, 18, 23 ता 25 कुल 15.08 बीघा भूमि अनकमाण्ड 560 रूपये प्रति बीघा व कि.नं. 19 में 1 बीघा, 20 में 13 बिस्वा, 21 में 13 बिस्वा कुल 2 बीघा 06 बिस्वा 2000/- रूपये प्रति बीघा से आवंटन दर्ज है एवं राशि जमा है।

इस प्रकार तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट आवंटन आदेश की छायाप्रति एवं सिंचाई विभाग के प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूमि 16 बीघा 19 बिस्वा अनकमाण्ड में से 15 बीघा भूमि कमाण्ड घोषित की गई है। जिसकी प्रार्थी पूर्व में जमा राशि के अलावा कमाण्ड घोषित भूमि की अन्तरराशि जमा करवाकर रिकार्ड दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरए के तहत स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि प्रार्थी की भूमि जिसमें मु.नं. 30/5 के कि.नं. 1 में 10 बिस्वा, 2 में 10 बिस्वा, 3 में 10 बिस्वा, 4 में 10 बिस्वा, 6 में 10 बिस्वा, 7 में 10 बिस्वा, 8 ता 14 में 7 बीघा, कि.नं. 17, 18 में 2 बीघा, 23 ता 25 में 3 बीघा कुल 15 बीघा भूमि को अनकमांण्ड से कमाण्ड घोषित भूमि की अन्तरराशि दिनांक 05.08.1992 को प्रचलित एमएफएफआर आवंटन एवं स्माल पेच की दर से अन्तरराशि की मांग कायम कर वसूल करने के पश्चात रिकार्ड में अनकमाण्ड से कमाण्ड का अंकन किया जावें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति पालनार्थ तहसीलदार लूनकरनसर को प्रेषित हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर निर्णय में शुमार हो।

आदेश आज दिनांक 30.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

30/1/20

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2020.02.04 10:55:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: